# अंग प्रत्यारोपण के लिए जनरेट करनी होगी डोनर और रिसीवर की यूनिक आई.डी.

## राजकीय और निजी अस्पतालों में मानव अंग प्रत्यारोपण में पारदर्शिता के लिए चिकित्सा विभाग ने कदम उठाया

-कार्यालय संवाददाता-

**जयपुर** । प्रदेश के राजकीय व निजी अस्पतालों में मानव अंग व ऊतक प्रत्यारोपण में पूरी पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए तकनीकी उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे। प्रत्येक प्रत्यारोपण के लिए डोनर और रिसीवर की यूनिक नोटो-आईडी जनरेट की जाएगी। इसके बिना प्रत्यारोपण संभव नहीं होगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह के निर्देश पर मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण राजस्थान की समुचित प्राधिकारी डॉ. रश्मि गुप्ता ने इस संबंध में मानव अंगों के प्रत्यारोपण के लिए अधिकृत राजकीय अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों एवं निजी अस्पतालों के प्रबंध निदेशकों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

दिशा निर्देशों के अनुसार मानव अंग एवं ऊतकों के प्रत्यारोपण के लिए अधिकृत राजकीय या निजी अस्पताल को प्रत्यारोपण के लिए नोटो की वेबसाइट पर जाकर अनिवार्य रूप से यूनिक नोटो-आईडी जनरेट करनी होगी। जीवित या मृतक दोनों ही डोनर के अंगों का आंवटन करने हेतु यूनिक आईडी जनरेट करना अनिवार्य होगा। यह आईडी प्रत्यारोपण सर्जरी के 48 घंटों के भीतर जनरेट करनी होगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए नोटो के ऑफिस में दूरभाष नम्बर 011-26164770 एवं टोल फ्री नम्बर 1800-11-4770 पर सम्पर्क किया जा सकता है। साथ ही नोटो की ईमेल आईडी .. के माध्यम से भी जानकारी ली जा सकती है।

समुचित प्राधिकारी ने यह दिशा निर्देश सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर, न्यू हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज कोटा, एम्स जोधपुर, माथुरादास माथुर हॉस्पिटल जोधपुर तथा जयपुर के मोनीलेक हॉस्पिटल, अपेक्स हॉस्पिटल, निम्स हॉस्पिटल, नारायणा हॉस्पिटल, ईएचसीसी हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल, संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल हॉस्पिटल, सीके बिड़ला हॉस्पिटल, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल एवं उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल को जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों की 2 दिवस में पालना कर समुचित प्राधिकारी को सूचित करना होगा।

- **समुचित प्राधिकारी डॉ. रश्मि गुप्ता ने सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर, न्यू हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज कोटा, एम्स जोधपुर, माथुरादास माथुर हॉस्पिटल जोधपुर तथा जयपुर के मोनीलेक हॉस्पिटल, अपेक्स हॉस्पिटल, निम्स हॉस्पिटल, नारायणा हॉस्पिटल, ईएचसीसी हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल, संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल हॉस्पिटल, सीके बिड़ला हॉस्पिटल, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल एवं उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल को दिशा निर्देश जारी किए । इन दिशा निर्देशों की 2 दिवस में पालना कर समुचित प्राधिकारी को सूचित करना होगा।**

# सोटो एवं स्टीयरिंग कमेटी का होगा पुनर्गठन

**जयपुर** । प्रदेश में सुगमतापूर्वक एवं नियमानुसार मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण के लिए स्टेट ऑर्गन एण्ड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन (सोटो) का पुनर्गठन किया जाएगा। साथ ही सोटो के सुगम कार्य संचालन, प्लानिंग एवं नेशनल ऑर्गन एण्ड टिश्यू ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की गाइडलाइन के अनुसार गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए स्टीयरिंग कमेटी का भी पुनर्गठन किया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा शुभ्रा सिंह के निर्देशों के बाद चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने सोटो एवं स्टीयरिंग कमेटी के पुनर्गठन के लिए सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि स्टेट ऑर्गन एण्ड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त निदेशक डॉ. अमरजीत मेहता द्वारा अपना त्यागपत्र दे दिया गया है, इसलिए नेशनल ऑर्गन एण्ड टिश्यू ट्रांसप्लांट गाइडलाइन के अनुसार सोटो का पुनर्गठन शीघ्र कराया जाए। साथ ही सोटो के सुचारू संचालन के लिए स्टीयरिंग कमेटी का पुनर्गठन भी नियमानुसार कराया जाए।

- **चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को दिए निर्देश**

# श्री मनसापूरण हनुमान मन्दिर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया

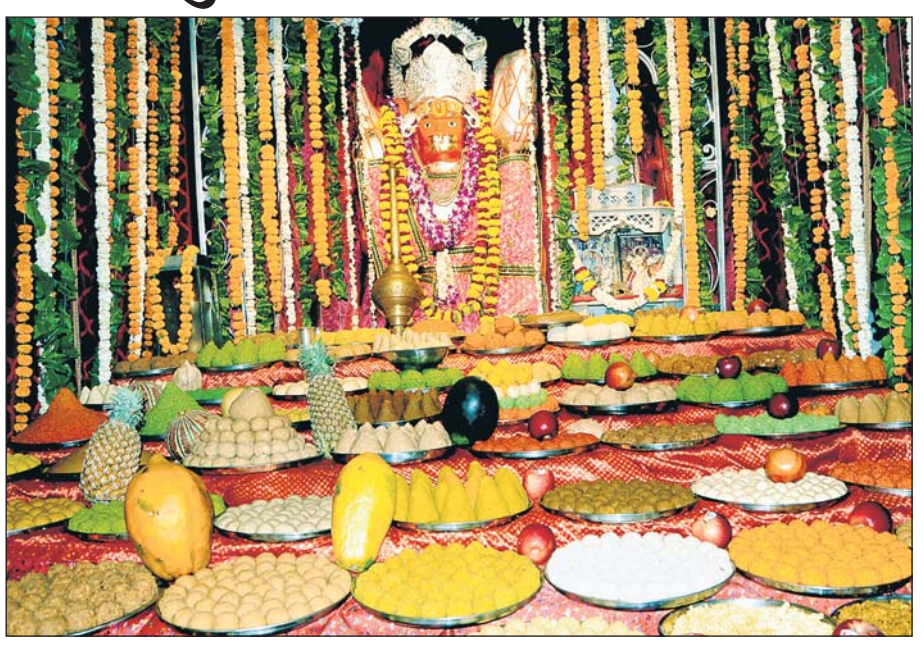

**जयपुर**, (का.सं.)। करतारपुरा के श्री मनसापूरण हनुमान मन्दिर में दो दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मन्दिर महंत राधेश्याम लल्लू महाराज के सानिध्य में हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के तहत 23 अप्रेल को हनुमान जन्मोत्सव के दिन श्री मनसापूरण हनुमान जी का प्रात 8 बजे वैदिक मंत्रोचार के साथ दुग्धाभिषेक एवं रूद्रपाठ किया गया। संध्याकाल में 11000 लड्डुओं का भोग लगा कर महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

साथ ही मंदिर में बालाजी की आकर्षक फूल बंगला झांकी सजाई गई। इस दौरान भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें कई ख्याति प्राप्त गायक कलाकरों ने अपने भजनों से प्रभु का गुणगान किया। भजन संध्या में गायक कलाकरों ने अपने भजन प्रस्तुतियों से वीर बजरंग बली को रिझाया तो सजीव झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। देर रात तक चले कार्यक्रम में नाचते गाते वीर बजरंगबली का जयकारा लगाते हुए आनंद के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया।

## दूसरे चरण के लिये आज थमेगा प्रचार-प्रसार

**जयपुर**, (का.सं.)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव-2024 के द्वितीय चरण में मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार गतिविधियां 24 अप्रैल शाम 6 बजे से थम जाएंगी। दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बासंवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां में 26 अप्रैल को मतदान होगा।

## डेंटिस्ट भी 62 साल की उम्र तक सेवा के हकदार : हाईकोर्ट

**जयपुर**।हाईकोर्ट ने डेंटिस्ट की रिटायरमेंट उम्र से जुडे मामले में कहा है कि वे भी 62 साल की उम्र पूरी होने तक सेवा में बने रहने के हकदार हैं। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता डेंटिस्ट को 62 साल की उम्र तक काम करते रहने के लिए कहा है। अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि यदि इस संबंध में कोई विपरीत आदेश जारी किया हो तो उसे तत्काल वापस लिया जाए। सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ. बंशीधर वर्मा की याचिका को मंजूर करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने सामान्य एमबीबीएस डॉक्टर्स की रिटायरमेंट उम्र 60 साल से बढाकर 62 साल कर दी है, लेकिन बीडीएस डॉक्टर्स यानि डेंटिस्ट की रिटायरमेंट उम्र 60 साल ही बरकरार रखी है। जबकि डेंटिस्ट व एमबीबीएस के भर्ती नियम समान ही हैं। याचिकाकर्ता 60 साल की उम्र पूरी होने पर 30 अप्रैल को रिटायर होने जा रहा है। इसलिए उसे 60 साल की बजाय 62 साल की उम्र पर रिटायर किया जाए और तब तक सेवा में बने रहने दिया जाए। जवाब में राज्य के एजी राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि एमबीबीएस एलोपैथी डॉक्टर्स की रिटायरमेंट उम्र ही 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की थी। जबकि इस मुद्दे से जुडे मामले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के जरिए चुनौती दी थी।

## हाईकोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण

**जयपुर**, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक को बिना कारण निलंबित करने से जुडे मामले में दो साल बाद भी जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में 13 मई तक स्पष्टीकरण नहीं देने पर अतिरिक्त मुख्य शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को पेश होने को कहा है। वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता शिक्षक के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश भंवरलाल गुर्जर की याचिका पर दिए।

**पुलिस आयुक्त जयपुर बीजू जॉर्ज जोसफ के निर्देश पर यातायात पुलिस जयपुर की ओर से आमजन को सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराया जा रहा है। यातायात नियमों के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से आमजन में राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम का सहयोग से यातायात जनजागरूकता वाहन रैली का आयोजन किया गया।**

## उपार्जित अवकाश के भुगतान की वसूली पर रोक लगाई

**जयपुर**। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने रिटायर शिक्षक को किए गए उपार्जित अवकाश के भुगतान की वसूली पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से जवाब तलब किया है। अधिकरण ने यह आदेश राकेश कुमार शर्मा की अपील पर दिए।

अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 1995 में अनुदानित कॉलेज में हुई थी। वहीं वर्ष 2011 में राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम लागू होने पर अपीलार्थी का समायोजन सरकारी कॉलेज में कर दिया गया।

# गुजरात के बनासकांठा में भ्रूण लिंग परीक्षण कराते दलाल पकड़ा

**जयपुर**। राजस्थान पी. सी. पी. एन. डी. टी. प्रकोष्ठ ने सोमवार को गुजरात के बनासकांठा के धानेरा में सफल डिकॉय ऑपरेशन करते हुए भ्रूण लिंग परीक्षण में शामिल दलाल राजूराम विश्नोई पुत्र हरिराम विश्नोई निवासी सांकड़ जिला सांचौर हाल संविदाकर्मी जीएनएम पीएचसी सांकड़ जिला सांचौर को गिरफ्तार किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह ने बताया कि पिछले दिनों पीसीपीएनडीटी सेल जयपुर को जालौर जिले के आसपास के क्षेत्र में भ्रूण लिंग जांच की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना की पुष्टि के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पीसीपीएनडीटी श्री के.के. अवस्थी के निर्देशन में टीम का गठन किया गया। डिकॉय ऑपरेशन के लिए तैयार कार्ययोजना के तहत निरीक्षण दल जालौर पहुंचा। डिकॉय टीम ने दलाल से सम्पर्क किया, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांकड में संविदा रूप में जीएनएम पद पर कार्यरत है। दलाल गर्भवती महिला को भ्रूण लिंग जांच के लिए सीमावर्ती राज्य गुजरात ले जाने के लिए तैयार हो गया तथा भ्रूण लिंग परीक्षण की एवज में 45 हजार रुपये एडवांस प्राप्त कर लिए। दलाल गर्भवती महिला को पूजा हॉस्पिटल धनेरा बनासकांठा गुजरात में लेकर गया। टीम में सर्तकता और सावधानी से लगातार दलाल का पीछा किया। गर्भवती महिला के इशारे उपरांत टीम ने दबिश देकर दलाल राजूराम को गिरफ्तार कर लिया।

राजूराम विश्नोई

- **राजस्थान पी.सी.पी.एन.डी.टी. टीम का सफल डिकॉय ऑपरेशन**

अनुसंधान में पता चला कि दलाल ने धोखाधड़ी करते हुए गर्भवती को पूजा हॉस्पिटल धनेरा बनासकांठा गुजरात में ले जाकर डॉक्टर से गर्भवती महिला के पेट में दर्द की शिकायत कर जांच करवाई तथा बाहर निकल कर गर्भवती को भ्रूण लिंग की जानकारी दी। आरोपी दलाल के पास से भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए ली गई राशि के हू-ब-हू नंबरी नोट भी बरामद किये है। टीम में तीन पुलिस निरीक्षक गुंजन सोनी, अनिल जैमन एवं प्रीति चेची एवं अन्य कार्मिक शामिल रहे। कांस्टेबल कैलाश, ललित मुकेश एवं शानू तथा जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी शंकर सुथार, पाली के महेश कुमार की भी भूमिका रही।

# भंवर जितेन्द्र सिंह के खिलाफ चल रही अदालती कार्रवाई रद्द

**जयपुर**, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बूंदी राजघराने की संपत्तियों के धोखाधड़ी से जुड़े मामले में राजीनामा होने के चलते पूर्व केन्द्रीय मंत्री भंवर जितेन्द्र सिंह सहित अन्य के खिलाफ बूंदी के एसीजेएम कोर्ट में चल रही कार्रवाई को रद्द कर दिया है। जस्टिस अनिल उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश जितेन्द्र सिंह व अन्य की याचिका पर दिए।

भंवर जितेन्द्र सिंह के अधिवक्ता पंकज गुप्ता ने बताया कि याचिका में प्रार्थी के खिलाफ बूंदी के कोतवाली थाने में वर्ष 2017 में दर्ज एफआईआर व ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रद्द करने का आग्रह किया गया था।

मामले के अनुसार अविनाश चानना ने भंवर जितेन्द्र सिंह सहित अन्य के खिलाफ 2017 में कोतवाली पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि बूंदी रियासत की संपत्ति की वसीयत 30 मार्च 2009 को उसके पक्ष में हो गई थी, लेकिन भंवर जितेन्द्र सिंह ने अपने मामा रणजीत सिंह की वसीयत से छेड़छाड़ कर उसे अपने पक्ष में किया है। इस संपत्ति को लेकर अविनाश ने दिल्ली हाईकोर्ट में प्रोबेट भी दायर की। वहीं जितेन्द्र सिंह ने कोर्ट में सिविल दावा कर कहा था कि रणजीत सिंह ने अपनी संपत्ति को कुल देवी आशापुरा माताजी के नाम पर सरेंडर कर दिया है और वे इसके सेवायत हैं। इस मामले में दिसंबर 2018 में एफआर लग गई तो चानना ने इसे प्रोटेस्ट पिटिशन के जरिए कोर्ट में चुनौती दी। इस दौरान अविनाश की मृत्यु हो गई तो उसके बेटे समीर व सुनील ने केस को जारी रखा। प्रोटेस्ट पिटिशन पर सीजेएम कोर्ट ने जितेन्द्र सिंह व अन्य के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए उन्हें गिरफ्तारी वारंट जारी कर कोर्ट में पेशी का निर्देश दिए। इसे निगरानी कोर्ट में चुनौती देने पर अदालत ने गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदल दिया, लेकिन प्रसंज्ञान सही माना। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने संपत्ति को कुलदेवी के नाम सरेंडर करना सही माना।

इसके बाद जितेन्द्र सिंह व अन्य पक्षकारों के बीच राजीनामा होने पर हाईकोर्ट में एफआईआर व ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रद्द करने की गुहार की गई थी।

- **बूंदी राजघराने की संपत्तियों के धोखाधड़ी से जुड़े मामले में राजीनामा होने के चलते बूंदी के एसीजेएम कोर्ट में चल रही कार्रवाई का मामला**

# किताब 'गुरुजी : एक गुमनाम हीरो' का विमोचन

**जयपुर**, (का.सं.)। विश्व पुस्तक दिवस पर मंगलवार को आरएएस क्लब में किताब 'गुरुजी : एक गुमनाम हीरो' का विमोचन किया गया। अमित असावा और रितिका पचौरी सह-लिखित यह पुस्तक भारतीय इतिहास के स्वतंत्रता सेनानी गोकुल लाल असावा के जीवन के अहम पहलुओं का सफरनामा है।

सह-लेखक अमित असावा ने कहा कि यह किताब उन लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है, जो अपना जीवन नेक कार्यों के लिए समर्पित करते हैं। साथ ही समाज पर प्रभावी असर छोड़ते हैं। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि शाहपुरा राज्य के पहले प्रधानमंत्री भी थे। वह कोटा राजधानी के साथ संयुक्त राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री भी रहे। इसके अलावा उदयपुर की राजधानी के समय दूसरे संयुक्त राजस्थान के उप प्रधान मंत्री भी रहे। सामाजिक न्याय के प्रति उनके दृढ़ समर्पण, अटूट विश्वास और दूरदर्शी नेतृत्व ने राष्ट्र पर एक अमिट छाप छोड़ी। विशेष रूप से उन्होंने भारत के आधुनिक संवैधानिक ढ़ांचे को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। इससे पहले पैनल चर्चा हुई, जिसमें प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादक शामिल हुए। चर्चा में किसी उद्देश्य के लिए बलिदान देने का सार, दस्तावेजीकरण की अनिवार्यता और अद्वितीय गुण शामिल रहे, जो एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण रूप में अलग करते हैं। जैसा कि हम गोकुल लाल असावा के जीवन के इस ज्ञानवर्धक अन्वेषण पर आगे बढ़ रहे हैं।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

**नाम परिवर्तन**

मैंने अपना नाम मोहम्मद यासीन खान से बदलकर यासीन खान पुत्र शब्बन खान निवास 841, मोहल्ला इच्छावतान, बास बदनपुरा जयपुर रख लिया है भविष्य में मुझे यासीन खान के नाम से पहचाना जावें।

मैंने अपना नाम धर्म परिवर्तन कर नित्यानंद राज पुत्र श्री दिवाकर राज से बदलकर अब्दुर रेहमान रख लिया है भविष्य में मुझे मेरे नए नाम से ही जाना पहचाना जाए। निवासी प्लॉट नंबर 23 संजय नगर-डी, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान, भारत।

मैं मेरा नाम भागा चन्द से बदलकर भागचंद चौधरी पुत्र श्री रामकरण चौधरी निवासी लीलों की ढाणी, ग्राम मोहनपुरा, सांगानेर, जयपुर राजस्थान रख रहा हूँ भविष्य में मुझे मेरे उक्त नये नाम से ही जाना पहिचाना जावें।

मैंने मेरा नाम आदित्य से बदलकर आदित्य राधव सोनी रख लिया। भविष्य में मुझे नये नाम से जाना पहचाना जावें। पता-102, कृष्णकृपा-2, सुभाषनगर, जयपुर।

**खोया पाया**

मैं इन्दूबाला सोनी पुत्री श्री दौलतराम निवासी 107, शक्ति नगर, झोटवाडा, जयपुर राज. की हूँ। 16.04.2024 को मेरे प्लॉट नं. बी-117, गणेश विहार, सांगानेर जयपुर का मूल पट्टा, साईट प्लान व रसीद रास्ते में गिर गये। जिसका कोई दुरूपयोग ना करें यदि किसी को मिले तो मो.नं. 9954204987 पर सूचित करें।

मेरे आवास संख्या 60/67 प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर का आवंटन पत्र कहीं गिर/गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें-9515126483

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण देवकिशन शर्मा एवं श्रीमती धनवंती शर्मा निवासीगण प्लाट नम्बर 85 सालासर सिटी ए-ब्लॉक, निवारु रोड़ जयपुर का पुत्र धीरज शर्मा एवं उसकी धर्मपत्नि अन्नु शर्मा हाल पता 63, रतन सागर कॉलोनी, इस्कॉन रोड़, जयपुर उनके विवाह के उपरांत से ही मेरे अभिभाष्यगण की आज्ञा में नहीं रहे हैं एवं मेरे अभिभाष्यगण से अलग होकर रहते हैं तथा अलग ही खाते कमाते हैं। मेरे अभिभाष्यगण ने इनको अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है तथा उनसे मेरे अभिभाष्यगण का कोई व्यवहारिक संबंध नहीं रहा है। उनके द्वारा किये गये किसी भी कृत्य एवं संव्यवहार के परिणामों के लिए ये दोनों एवं संबंधित पक्ष जिम्मेदार रहेंगे।

भवदीय
(चन्द्रप्रकाश खेतानी) एडवोकेट
मो. 9314505592
जयपुर
दिनांक : 02.04.2024

**कार्यालय उपायुक्त मालवीय नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर**
( नई विधानसभा के पास, लालकोठी, जयपुर )
क्रमांक: एफ( )/न.नि.ज.ग्रेटर / मा. न. जोन/2024/98
सार्वजनिक सूचना दि.: 23.4.2024
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मूल भूखण्ड संख्या-बी-34, योजना बरकत नगर बी, न्यू पिंक सिटी गृहनिर्माण सहकारी समिति लि. टोंक फाटक, जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा श्री रामचन्द्र पुत्र श्री हाबूजी को क्षेत्रफल 233.33 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था, मूल आंवटी की दिनांक 15.05.2022 को मृत्यु हो चुकी है। मूल आवंटी श्री रामचन्द्र पुत्र श्री हाबूजी द्वारा दिनांक 16.05.2019 को रजिस्टर्ड वसीयत सम्पादित की है। उक्त रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा भूखण्ड संख्या-बी- 34, योजना बरकत नगर बी, न्यू पिंक सिटी गृहनिर्माण सहकारी समिति लि. टोंक फाटक, जयपुर श्री श्याम सुन्दर कुमावत व श्री गोपाल लाल कुमावत पुत्रान श्री रामचन्द्र के स्वामित्व में आया है। रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर श्री श्याम सुन्दर कुमावत व श्री गोपाल लाल कुमावत पुत्रान श्री रामचन्द्र द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों, शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), रजिस्टर्ड वसीयत, मूल आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजो की छायाप्रति के आधार पर भूखण्ड संख्या-बी-34, योजना बरकत नगर बी, न्यू पिंक सिटी गृहनिर्माण सहकारी समिति लि. टोंक फाटक, जयपुर का नाम हस्तान्तरण नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा श्री श्याम सुन्दर कुमावत व श्री गोपाल लाल कुमावत पुत्रान श्री रामचन्द्र के पक्ष में किया जाना है। इस नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित समयावधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त
मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर जयपुर

**कार्यालय उपायुक्त हवामहल-आमेर जोन नगर निगम जयपुर हैरिटेज**
(चौगान स्टेडियम के पास, गणगौरी बाजार, जयपुर)
Email ID: dchmwjmc@gmail.com, Phone No. 0141-2329953
क्रमांक-F51()Dept.Comm./H.M.A.Z./2024/162 दिनांक-23.04.2024
**आपत्ति सूचना**
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राधेश्याम मीणा पुत्र श्री सपूत राम मीणा पता सर्वे नम्बर 93/14593 मकान नं. 92, इन्द्रा वर्मा कॉलोनी शास्त्री नगर, जयपुर का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। भूखण्ड संख्या सर्वे नम्बर 93/14593 मकान नं. 92, इन्द्रा वर्मा कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर का कच्ची बस्ती भू आवंटन (नियमन) पत्र कार्यालय नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा क्रमांक 3110-12 दिनांक 10.09.1982 को श्री रमेश चन्द पुत्र श्री छुट्टन लाल शर्मा को जारी किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/सरकारी/गैर सरकारी संस्था या अन्य को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित करें। मियाद गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
उपायुक्त, हवामहल आमेर जोन, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर

**कार्यालय उपायुक्त हवामहल-आमेर जोन नगर निगम जयपुर हैरिटेज**
(चौगान स्टेडियम के पास, गणगौरी बाजार, जयपुर)
Email ID: dchmwjmc@gmail.com, Phone No. 0141-2329953
क्रमांक-F51()Dept.Comm./H.M.A.Z./2024/161 दिनांक-23.04.2024
**आपत्ति सूचना**
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राधेश्याम मीणा पुत्र श्री सपूत राम मीणा पता सर्वे नम्बर 91/14591 मकान नं. सी-491, इन्द्रा वर्मा कॉलोनी शास्त्री नगर, जयपुर का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। भूखण्ड संख्या सर्वे नम्बर 91/14591 मकान नं. सी-491 इन्द्रा वर्मा कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर का कच्ची बस्ती भू आवंटन (नियमन) पत्र कार्यालय नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा क्रमांक 157 दिनांक 10.09.1982 को श्री ओम दत्त पुत्र श्री छुट्टन लाल को जारी किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/सरकारी/गैर सरकारी संस्था या अन्य को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित करें। मियाद गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
उपायुक्त, हवामहल आमेर जोन, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर

**कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर जोन) नगर निगम ग्रेटर जयपुर**
(अम्बाबाडी सामुदायिक केन्द्र, अम्बाबाडी सर्किल, जयपुर)
क्रमांक- एफ 55 () वि.जोन/न.नि.ज.(ग्रे)/2024/60
**सार्वजनिक सूचना** दिनांक- 22.04.2024
भूखण्ड संख्या 62, योजना बी-1, प्रेम नगर झोटवाडा (श्री जनता गृह निर्माण सहकारी समिति) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती उषा देवी गुप्ता पत्नि श्री सोहन लाल गुप्ता को क्षेत्रफल 215.00 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। प्रकरण में मूल आवंटी की मृत्यु के बाद पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर श्री प्रदीप गुप्ता पुत्र स्व. श्री सोहन लाल गुप्ता ने भूखण्ड संख्या 62, योजना बी-1, प्रेम नगर झोटवाडा का नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त, विद्याधर नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

**कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर जोन) नगर निगम ग्रेटर जयपुर**
(अम्बाबाडी सामुदायिक केन्द्र, अम्बाबाडी सर्किल, जयपुर)
क्रमांक- एफ 55 () वि.जोन/न.नि.ज.(ग्रे)/2024/53
**सार्वजनिक सूचना** दिनांक- 22.04.2024
भूखण्ड संख्या 61, योजना बी-1, प्रेम नगर झोटवाडा (श्री जनता गृह निर्माण सहकारी समिति) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती उषा देवी गुप्ता पत्नि श्री सोहन लाल गुप्ता को क्षेत्रफल 260.00 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। प्रकरण में मूल आवंटी की मृत्यु के बाद पंजीकृत उपहार पत्र के आधार पर श्रीमती गुन्जन गुप्ता पत्नी श्री प्रदीप गुप्ता ने भूखण्ड संख्या 61, योजना बी-1, प्रेम नगर झोटवाडा का नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त, विद्याधर नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

Nippon india Mutual Fund
Wealth sets you free
**Mutual Fund Investor Awareness Program**
To increase awareness about Mutual Funds, we conduct Investor Awareness Programmes (IAPs) across the country. Schedule of upcoming IAP is as mentioned below

| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| 26th April, 2024 | 07:00 pm | Jaipur |

Venue: Leisure Inn Grand Chanakya, Jaipur - 302001.
Name: Mubarak Ali | Mob. No.: 8655952183
Nippon Life India Asset Management Limited | CIN : L65910MH1995PLC220793
Good gets better
Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

**नाम/उपनाम परिवर्तन का बन्ध पत्र**
इस बन्ध पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता हीरालाल प्रजापति जो कभी इससे पूर्व हीरालाल कुम्हार कहलाता था। एवं जो जल स्वा.अभियान्त्रिकी विभाग उपखण्ड नाथद्वारा में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त हूं एतद् द्वारा:- 1.मैं स्वयं तथा मेरी पत्नी तथा दूसरे की सन्तान जो पूर्व तथा मेरे पर आश्रित है मेरे पूर्व नाम हीरालाल कुम्हार को त्यागता हूं तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नया नाम हीरालाल प्रजापति ग्रहण करता हूं एवं इसीलिये मैं और मेरी पत्नी,सन्तान तथा दूसरों की सन्तान इसके पश्चात मेरे पूर्व के नाम हीरालाल कुम्हार से नहीं जाने जायें तथा न ही पहचाने जावे अपितु ग्रहण किये गये नाम से ही जाना जाये। 2. मेरे उक्त निर्णय की साक्षता के लिये घोषणा करता हूं कि मैं एतद पश्चात सभी समय निजी अथवा सार्वजनिक सभी अभिलेखों में बन्ध पत्र एवं प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों एवं प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों व्यवहारों एवं लेन देन तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम हीरालाल कुम्हार के स्थान पर वर्तमान नाम हीरालाल प्रजापति के रूप में प्रयुक्त करूंगा तथा हस्ताक्षर करूंगा। 3.स्पष्टता एतद् द्वारा सभी समय सभी व्यक्ति यों को मुझे मेरी पत्नी,सन्तान तथा द